

मानक विहीन इंटर कालेजों को परीक्षा
केन्द्र बनाने के जुगाड़ में विभागीय अधिकारी –
परीक्षा केन्द्र निर्धारण को लेकर उठे विरोध के स्वर

बहराइच। जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्रांक आदेश संख्या परीक्षा-22४८२४-४९ के द्वारा बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रविधि से जिले में ९२ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उक्त के संबंध में आधा दर्जन से अधिक इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एवं बोर्ड परीक्षा से संबंधित लिपिकों द्वारा बोर्ड को परीक्षा केंद्र निरीक्षण के लिए आव्याय को भेजने में व्यापक अनियमितता एवं धांडताली की गई है। प्रधानाचार्यों ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त सम्बंध में उपरोक्त लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं धन उगाही की गई है। जिसके कारण कई मानक विहीन इंटर कॉलेजों को परीक्षा केंद्र चयनित किया गया है। बहुत सारे मानक को पूरा करने वाले उत्तम श्रेणी के इंटर कॉलेजों का परीक्षा केंद्र के लिए चयन नहीं हुआ है। कुछ प्रधानाचार्यों ने यह भी बताया कि उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा प्रेषित आव्याय जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उनके कार्यालय द्वारा हेराफेरी भी की गई है। कुछ विद्यालयों की उक्त समिति द्वारा सकारात्मक आव्याय भेजी गई थी। उसके बावजूद उक्त लोगों द्वारा ऑनलाइन फीडिंग में कुछ

कॉलमों की आख्या को बोर्ड द्वारा भेजी गई आवंटन सहित नकारात्मक दर्शाया गया। जिसके सूची को नहीं प्रसारित किया गया है बल्कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ही परिक्षा केंद्रों की सूची जारी करी गई है जिसमें आवंटन नहीं दर्शाया गया है।

ह। इसका भा प्रधानाचाय गण आशंका कर रहे हैं एवं शक की निगाहों से देख रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति आने वाली आपत्तियों के आधार पर मानक पूरा करने वाले एवं गत वर्षों में सकुशल परीक्षा संपन्न कराने वाले इंटर कॉलेजों का परीक्षा केंद्र के लिए चयन किया जाएगा या महज कागजी खानापूर्ति तक ही यह आपत्तियां सीमित रहेंगी।

विवेकानन्द की जयंती पर पायनियर व पात्राल्य स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम

कार्यक्रमों में बच्चों ने दिखाए अपने हुनर का प्रदर्शन

गुण्डा एक्ट के तहत 13 अपराधियों को जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर

बहराइच | जनपद में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन— 2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एंव लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 13 अपराधियों के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा एकट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 6 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थाने में प्रत्येक माह की 15 एंव 30

तरारीख को आगामी 06 माह तक माह में 2 बार उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना पयागपुर अन्तर्गत ग्राम झाला तरहर नि. प्रहलाद उर्फ दंगी पुत्र पुत्ती, अजय कुमार पुत्र राम सुरेश उर्फ सुरेश एवं अरुण कुमार उर्फ छेलू उर्फ विजय कुमार पुत्र राम सुरेश उर्फ सुरेश, थाना सुजौली के ग्राम हजारीपुरवा दा. कारीकोट नि. जवाहर पुत्र राम लाल, थाना हरदी के ग्राम ग्राम गरेठी गुरुदत्त सिंह हाल पता राजी चौराहा नि. सुरेश उर्फ गोगे सिंह पुत्र रामहर्ष उर्फ राम हरख सिंह, ग्राम महाराजगंज दा. जोत चांदपारा नि. यावर पुत्र हाजी मकबूल एवं ग्राम तिवारीपुरवा दा. बहोरिकापुर नि. मदनलाल उर्फ मदन तिवारी पुत्र रवीश चन्द्र, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम मानिकपुर नि. लल्लन उर्फ सलीम खां पुत्र बुध ई, थाना रूपईडीहा के जमोग बाजार नि. मनोज कुमार विश्वास पुत्र नील रत्न विश्वास, थाना

पटेरा के ग्राम दर्जिनपुरवा नि. छबबन पुत्र इब्बाहीम व ग्राम नखेया दा. मोहरबा नि. छबबन पुत्र हसमत, थाना मोतीपुर के ग्राम बंजारनटांडा दा. बलसिंहपुर ने. अरविन्द पुत्र रामनाथ तथा प्राना नवाबगंज के कस्बा नवाबगंज नि. पुती उर्फ मोहम्मद महमद पुत्र मैनुद्दीन को 06 माह के जिला बदर किया गया है।

इसके अलावा थाना रिसिया भन्तर्गत ग्राम कटिलियाभूप सिंह ने. लवन्डऊ उर्फ अमानत अली पुत्र जाकिर अली व अलिया बुलबुल नि. युसुफ पुत्र मक्का, थाना सुजौली के भैसाबुढ़ा दा. जंगल गुलरिहा नि. गंगाराम पुत्र हंसराज, थाना मोतीपुर के पुरैना रघुनाथपुर नि. संजीव पुत्र दशरथ, थाना जरवलरोड के ग्राम हरचन्दा नि. आबिद उर्फ कल्लू पुत्र हासिम व माजिद उर्फ चांद बाबू पुत्र मो. हशिम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छ: माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रदेशीय किया। उन्हें उपराजा या संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक डॉ एम पी तिवारी ने छात्रों को स्वामी विवेकानन्द के जीवन से परिचित कराया। उन्होंने छात्रों को बताया कि विवेकानन्द को देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया राह ने प्रकाश लाने प्राप्त किया। अवतार पाल ने द्वितीय व श्रेयस गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता प्रति शुक्ला प्रथम, साजन कश्यप द्वितीय व वैष्णवी यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पेटिंग प्रतियोगिता में तानिया चौधरी ने तो वही पोस्टर प्रतियोगिता में ही श्याम एवं जैकलिन ने बाजी मारी।

गोडा के निश्चल शुक्ल बने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव

गोडा। जनपद मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत मथुरा चौबे के मजरे बैरागी पुरवा हारीपुर निवासी निश्चल शुक्ल उत्तर प्रदेश राज्य

किशोरी खटिक हत्याकांड मे वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

से लोगों ने जबरन बालू मौरंग मिट्टी आदि का कारोबार शुरू कर दिया है जो हमेशा बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं पहला तो यह कि जिन जगहों पर बालू मौरंग का कारोबार होता है हमेशा उन सड़कों पर यह बालू रेत फैला होता है जो दो पहिया वाहनों के लिए जहर के समान है दूसरी बात यह कि सड़क की पटरियों पर जब इस तरह के अवैध कब्जे रहते हैं तो लोग किसी तरह मुख्य सड़क पर ही आ जाते हैं जो हमेशा दुर्घटना का सबव बन रहता है जिले के आला अधिकारी सभी मार्गों पर गुजरते हैं पर उनकी नजर इन अतिक्रमणों पर पड़ती है या नहीं यह तो बात की बात है पर सच्चाई यह है कि नगर मुख्यालय से सटे तहसील मुख्य गेट के निकट के निकट बहराइच रोड रोड के मुख्य मार्ग व उत्तरोला रोड पर अनगिनत जगहों पर गिट्ठी मौरंग के ऐसे अड्डे चल रहे हैं जिसे जनहित में हटाना आवश्यक है देखना है कि स्थानीय प्रशासन इस पर कितनी जल्दी कार्यवाही करता है

बहराइच नुस्ला जवाहल के
केशव कुमार चौधरी के निर्देशन
में अपराध एवं अपराधियों के
रोकथाम व वांछित अभियुक्त की
गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये
जा रहे अभियान के क्रम में अपर
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक
कुमार व क्षेत्राधिकारी नानपारा
जंग बहादुर यादव के पर्यवेक्षण
में प्रभारी निरीक्षक रूपईडीहा
प्रमोद कुमार त्रिपाठी मय पुलिस
बल द्वारा थाना स्थानीय द्वारा
आज वादी मुकदमा छत्रपाल
खटिक पुत्र आज्ञाराम खटिक
निवासी ग्राम निधिनगर थाना
रूपईडीहा जिला बहराइच द्वारा
अपने रिश्तेदार (मृतक) किशोरी
खटिक पुत्र लखपत खटिक
निवासी ग्राम नरैनापुर जिससे
विपक्षीगण द्वारा भैस व पड़िया

ठान लना प हृदया कर लारा
को जंगल मे छिपा देने के
सम्बन्ध मे तहरीरी सूचना पर
मु030सं0 16६२०२२ धारा
394,302,201 भादवि व ३(२)वी
एससी-एसटी एकट थाना
रूपईडीहा जनपद बहराइच
पंजीकृत किया गया था इस
मुकदमे मे वांछित अभियुक्तों की
गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक
चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसको
परिश्रम के पश्चात आज
अभियुक्तगण चांद अली पुत्र
समीउल्ला उर्फ भूरे आदिल उर्फ
रूपई पुत्र कादिर खां व विनोद
वर्मा पुत्र गयाप्रसाद वर्मा
निवासीगण निधिनगर को
मुखबिर की सूचना पर सुबह
गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगण उपरोक्त से घटना

वार न पूछताछ करने पर जाताया कि साहब हम तीनों एक भैंसी गाँव के हैं आपस में दोस्त हैं। हम तीनों भैंस चुराकर नेपाल में जाकर बैचते हैं यही हम तीनों के रोजी रोटी का साधन खाते हैं। जो भैंस हम तीनों ने किशोरी खटिक की हत्या करके छीने हैं वह जग्गा पासी पुत्र रामलखन गार्सी निवासी अड़गोड़वा थाना नवाबगंज बहराइच जो चोरी का पशु खरीद कर बैचता है उसी को बेचने हेतु छीने थे किशोरी खटिक की हत्या हम तीनों ने मिलकर किया और नाश को जंगल में छिपा दिये गये। इसके अतिरिक्त कडाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने जाताया कि हम तीनों ने मिलकर बैत दस दिसम्बर को ग्राम उरलावर दलाला न सताप घादप के घर का ताला काट कर एक भैंस व एक पड़िया चुरा कर जग्गा पासी पुत्र रामलखन ग्राम अड़गोड़वा थाना नवाबगंज को बैचे व गत सोलह दिसम्बर को ग्राम लखैया में सुधा देवी पत्नी कृपाराम की एक भैंस चुराकर जग्गा पासी बैचे हैं। जिसके संबंध में थाना हाजा पर मु030रु030 14/2022 धारा 457/380 ग्राम मुरलीधर दंदौली व मु030रु030 15/2022 ग्राम लखैया ग्राम रुपईड़ीहा के घटना के संबंध में पंजीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय सदर रवाना किया गया।

पसका मेले के आयोजन पर लगा कोरोना का ग्रहण

गोंडा। जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पसका मेला आयोजन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। उक्त मेले के आयोजन के सम्बन्ध में जनपद वासियों को अवगत कराते हुए अपर जिलाधिकारी गोंडा ने कड़ा आदेश जारी कर मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि जनपद के परस्पर क्षेत्र अन्तर्गत पसका में सरयू धाघरा संगम पर प्रति वर्ष पौष पूर्णिमा पर विशाल ऐना जापानी था 2021 तिने में अवकाश पी मैटियू टिक्का जापानी था।

नगर निगम में भवन कर का अवधि वसूला से बिफर पाषद

-मण्डलायुक्तका सापा राज्यपाल, मुख्यमंत्री व चुनाव आयोग का सम्बाधित शपथ
या। नगर चिगम मञ्चबहर होकर आज्ञेलन करते विधान सभा चनाह से पक्का माड के उपसभापति बनते

जयाय्या। नगर निगम अयोध्या के पार्षदों ने नगर निगम पर मजबूर होना पड़ेगा। मण्डलायुक्त को ज्ञापन देने वाले नगर निगम के उप सभापति बृजेन्द्र बहादुर सहित नगर निगम के अन्य पार्षदों को आरोप है कि नगर वासियों की शिकायत है कि नगर निगम की ओर से टैक्स वसूली के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। पूर्व में लोक सभा चुनाव के दो माह पूर्व नगर निगम के अधिकारियों ने मनमाने दंग से टैक्स बढ़ा कर नौटिस देना प्रारम्भिक रूप से दो माह के लिए घोषित किया था। इसके बाद वसूली की जाए जाने का आरोप लगाया है। नगर निगम के उप सभापति बृजेन्द्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में लगभग दो दर्जन पार्षदों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग को सम्बोधित ज्ञापन मण्डलायुक्त को सौंपकर मांग की है कि भवन कर के नाम पर हो रही अवैध उगाही पर रोक लगायी जाए। यदि हमारी मांग पूर्व पहले की भाँति जीआईएस नामक कम्पनी के कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे के नाम पर इनादोहन कर रहे हैं। उनकी इस मनमानी से प्रदेश सरकार बदनाम हो रही है। पुनः टैक्स बढ़ाकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्षदों ने मांग की कि इस अवैध वसूली पर रोक लगायी जाय। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी न होने पर नगर निगम के पार्षदों को आन्दोलन के लिए सिंह के साथ मण्डलायुक्त को ज्ञापन देने वाले पार्षदों में श्री कृष्ण, रंजीज सोनकर, अनिल सिंह, मनोज श्रीवास्तव, रीना सिंह, राम नन्दन तिवारी, बाबू नन्दन सोनकर, लक्ष्मी सिंह, अनीता सिंह, नीलम सिंह, शकुंतला गौतम, गरिमा मौर्य, सविता यादव अनुभव, अशोका तिवारी, दिनेश मौर्य, जितेन्द्र निषाद, नन्दलाल गुप्ता, अनुज दास, संतोष सिंह, राजेश कुमार गौड़, आलोक मिश्र आदि लोग शामिल रहे।

बहुकल्पणकारी योजनाओं के उपर लिखानारात से उत्थाहः लल्ल मिं

प्रमुख लोगों में जिला अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह पार्टी महासचिव विनय कुमार मिश्रा घनश्याम मित्र श्रीपत शुक्ला बलराम कोरी मेरे जमील सुरेन्द्र कुमार यादव, अभिरका प्रसाद, मास्टर हनीफ, वृजेश चौहान, विशाल कश्यप, अवधेश पाल सिंह सहित बड़ी संख्या पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे उक्त अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने देश और समाज के लिए जिस निरुत्तरता के साथ देश की जनता के हितों में संप्रदायिक ताकतों से मुकाबला कर रही है उसकी जितनी बीमार प्रशंसा की जाए कम ही है उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सामाजिक भागीदारी में एक मजबूत रिश्ता बनाया है इसी कड़ी में उन्होंने जो प्रतिज्ञाएँ दी हैं तथा जो नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ नये सरकारी आरक्षण प्रावधानों में 40 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति आशा बहुओं की 10000 प्रतिमाह मानदेय छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी महिलाओं की यात्रा के लिए निशुल्क सेवा के साथ ही तीन गैस सिलेंडर निशुल्क प्रतिवर्ष देने की घोषणा की जिसकी सराहना देश की आम जनता कर रही है ऐसे में वास्तविक रूप से देखा जाए इस देश का तरक्की कांग्रेश और उसकी महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा ही संभव है।

अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाभार्थी सम्पर्क अभियान प्रारम्भ किया गया है। महानगर में भाजपा के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने जाकर लाभार्थीयों से सम्पर्क किया। रोली तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया। मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्यता दिला कर उनके साथ से लफी ली। करियप्पा मंडल के अम्बेडकरनगर वार्ड बूथ संख्या 31 में सांसद लल्लू सिंह ने अभियान के तहत लाभार्थियों से मुलाकात की। बूथ संख्या 30 में महानगर जिलाध्यक्ष अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, विधायक वेद गुप्ता ने अयोध्या मण्डल के ऋणमोचन घाट में शक्तिकेन्द्र तुलसीकन्या, सीताकुण्ड के शक्तिकेन्द्र कटरा, करियप्पा मण्डल के शक्तिकेन्द्र खोजनपुर व पूरामण्डल के शक्तिकेन्द्र गंगौली में जनसम्पर्क किया। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर पर लाभार्थियों से सम्पर्क किया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह कहा कि जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जनता में उत्साह का माहौल है। सभी का बिना भेदभाव विकास किया गया है। सबके साथ से सभी का विकास के रास्ते पर चलते हुए सबके प्रयास से सबका विश्वास हासिल करने की ओर हम अग्रसर हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की नीति पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या का उसकी गरिमा और महिमा के अनुसार विकास हो रहा है। अयोध्या विश्व स्तर की पर्यटन नगरी के बन रही है। विधायक वेद गुप्त ने कहा कि प्रदेश सरकार बनने के बाद माफिया राज तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है।

स्वास्थ्य कर्मी तहसील मुख्यालय पर पहुंच कर लगभग 100 राजस्व कर्मियों को दिया बूस्टर डोज

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर तहसील नौगढ़ के सभाकक्ष में राजस्व कर्मियों को ओमिक्रोन के बायाव के लिए बूस्टर डोज दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मियों को बूस्टर डोज दिया जाना है। आज स्थान्य कर्मी तहसील मुख्यालय पर पहुंच कर लगभग 100 राजस्व कर्मियों को बूस्टर डोज दिया। इस अवसर पर तहसीलदार राम ऋषि रमन ने कहा कि आज

जो भी राजस्व कर्मी छूटे हैं उन्हें हर हाल में कल बूस्टर डोज ले

लेना है। नायब तहसीलदार बिन्देश गुप्ता, राजस्व निरीक्षक शीतल

प्रसाद द्विवेदी, विजय प्रकाश गुप्ता, सुरेंद्र तिवारी, अम्बरीश, विशेषर, लेखापाल रामकरन गुप्ता, सुधीर श्रीवास्तव, गणेश त्रिपाठी, राम

शंकर द्वेरा, बिन्दुसार मौर्य, देवेन्द्र त्रिपाठी, सुबोध गुप्ता, शास्कं

सोरभ, अशोक यादव, शिवांकर यादव, अनूप यादव, अशोक गुप्ता, धर्मन्द्र सिंह, चन्द्र प्रकाश, अनमोल श्रीवास्तव, राजेश मिश्र, अशोक

श्रीवास्तव, कन्हैया सिंह आदि ने बूस्टर डोज लिया।

आचार सहिता कई दिन बीतने पर भी

नहीं हटा बैनर पोस्टर, प्रसाशन बेखबर

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर मोहाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सेखुर्डीया



चौराहे पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है जोकि आचार सहिता कई दिन बीत गया यहां तक की प्रशासन इस बैनर पर ध्यान नहीं पड़ा जो कि यह बैनर रोड पर ही लगा हुआ है जोकि आचार सहिता का ध्यान उड़ाई जा रहा है। इस बैनर पर भाजपा के कई मंत्री वा प्रत्याशी मुस्कुराते नजर दिखाई दिए प्रशासन बेखबर।

कोबिड19 बढ़ते संक्रमण के बीच

पानी संस्थान आयोध्या ने आवश्यक

मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराया

दैनिक बुद्ध का संदेश

इटवा / सिद्धार्थनगर। इटवा तहसील के अन्तर्गत इटवा



सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा को पानी संस्थान आयोध्या द्वारा कोबिड19 टीकाकरण सेटर हेतु आवश्यक मेडिकल उपकरण एवं सामग्री जैसे कटर, थम्पल, सेन्ट्राराइज, फेशी शिल्ड, व आवश्यक सामग्री इटवा ल्लाक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एवं 5 प्रा स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी उपलब्ध कराया। इटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी डॉ वी के वैध ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को टीकाकरण हेतु आवश्यक उपलब्ध कराना है। इन चीजों का उपयोग से स्वयं सुरक्षित रखते हुए वैक्सीनेशन के कार्य में गति प्रदान होगी। इस अवसर पर चंदमति यादव, वर्षा श्रीवास्तव, कुमुर, दीपक सिंह, सुमन आदि अनिल कुमार, व अन्य चिकित्सा कर्मी उपरिथित रहे।

अनिल कुमार, व अन्य चिकित्सा कर्मी उपरिथित रहे।

कोविड, आचार संहिता उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही के लिए बनी टीम: एसपी रावत

पुलिस कार्यालय से जनपद के विभिन्न कस्बों में जागरूकता संदेश देते एसपी सुरेश चंद्र रावत



दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। पुलिस कार्यालय से एसपी सुरेश चंद्र रावत ने अपने 15 कस्बों के विभिन्न स्थलों पर लगे पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का

कार्यम से कोरोना प्रोटोकॉल अनुपालन प्रत्येक दशा में करने की आवश्यकता के संबंध में बताया गया।

आफ कंडवट के संबंध में जन सामान्य को जागरूक किया गया।

कोविड-19 के उल्लंघन अथवा मॉडल कोड आफ कंडवट के उल्लंघन के प्रकरणों को तत्काल 112 नंबर पर कॉल

फोटोग्राफी करके शिकायत दर्ज कराने हेतु संदेश प्रसारित किया गया।

जन सामान्य को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में गूगल प्ले स्टोर से पहुंच जाए। आदर्श आचार संहिता अरक्षी हैं जोकि अल्प सूचना पर उपरिनीक्षक वर तीन तीन संसास्त्र उपरिनीक्षक वर तीन तीन संसास्त्र करके उल्लंघन की लाइव प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समय कार्रवाई करेगी।

मानव तस्करी होने से 4 नेपाली नाबालिक लड़कों को बचाया

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। सशस्त्र सीमा सेवक तथा संस्थान

बल 43वीं वाहिनी की दो अलग

अलग सीमा चौकियों ने 4 नेपाली

नाबालिक लड़कों को मानव

तस्करी होने से बचाने में

सफलता पाई है।

प्रान्तकारी के मुताबिक

सोमवार को सीमा चौकी बजहा

के जवानों ने दो नेपाली नाबालिक

लड़कों को एवं सीमा चौकी

ककरहवा के जवानों ने मंगलवार

को मानव तस्करी का शिकार

होने से बचाने में

सफलता पाई है। सीमा चौकी

निरीक्षक मोतीराम, समवाय प्रभारी

ककरहवा प्रभारी एवं एचटीयू एस

एस बी तथा मानव सेवा संस्थान

पुलिस द्वारा प्राथमिक पूछ-ताछ

से पता चला की अज्ञात मानव

तकर नेपाली लड़कों को नौकरी

व आकर्षक जीवनशैली का सपना

दिखाया रम्भर मुम्बई ले जाने के

फिराक में था। जाँच पड़ताल

एवं उत्थित कार्यवाही के बाद

चारों नाबालिक नेपाली लड़कों

को मानव सेवा संस्थान प्रभावी

एवं एपीएफ नेपाली की उपरिथित

में नेपाल पुलिस को अप्रिम

कार्यवाही हेतु सुपुर्क वर दिया

गया। नेपाली नाबालिक लड़कों

को मानव तस्कर कर के चंगुल से

सफलता पाई है। सीमा चौकी

निरीक्षक मोतीराम, समवाय प्रभारी

ककरहवा प्रभारी एवं एचटीयू एस

ककरहवा एसी रूप लाल शर्मा,

शोषण न हो सकें।

इंट्रीग्रेटेड कन्ट्रोलरूम के लिए नामित अधिकारियों को डीएम ने किया नियुक्त हाईवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग एवं संदिग्ध लोगों का एन्टीजेन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराये- डीएम

दैनिक बुद्ध का संदेश, गोरखपुर। जिलाधिकारी ने कोविड-19

की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भाँति पुनः ई डिस्ट्रिक्ट में स्थापित इंट्रीग्रेटेड कन्ट्रोलरूम गोरखपुर को संचालित किये जाने हेतु अधिकारियों को नामित किया है जिसमें पुरुषोत्तमदास गुप्ता अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभारी अधिकारी कोविड-19 इंट्रीग्रेटेड कन्ट्रोलरूम, सुनील पठेल उप योगी स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना पर उपरिनीक्षक वर तीन तीन संसास्त्र अरक्षी हैं जोकि अल्प सूचना पर प्रत्येक समय कार्रवाई करेगी।

दैनिक बुद्ध का संदेश, गोरखपुर। जिलाधिकारी ने कोविड-19

की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भाँति पुनः ई डिस्ट्रिक्ट में स्थापित इंट

सम्पादकीय

उसने ब्लॉशक स्तर तक
आईटी सेल बनाये हैं। लेकिन
ठोटे दलों को डिजिटल माई
यम से बढ़त लेने में दिवकरत
आएगी, एक तो उनकी
तैयारी नहीं है दूसरे उनके
पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
पिछले साल भी कुछ राज्यों में
डिजिटल अभियान की
शुरुआत की गई थी, लेकिन
इस दिशा में सभी दलों की
भागीदारी जरूरी है। यह ...

आखिरकार चुनाव आयोग ने राज्यों की स्थितियों का अवलोकन करने के बाद पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। साथ ही आचार-संहिता लागू हो गई है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते देश में ऊहापोह की स्थिति थी कि क्या चुनाव टाले जायेंगे या नियत समय में ही होंगे। आखिरकार आयोग द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की चुनौती के चलते सात चरणों में मतदान होगा तो मणिपुर में दो चरणों में। वहीं पंजाब, उत्तराखण्ड व गोवा में एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव दस फरवरी लेकर सात मार्च तक विभिन्न चरणों में होंगे और दस मार्च को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। अच्छी बात यह है कि चुनाव प्रचार अभियान से संक्रमण के खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, नुक़द सभाओं, पैदल यात्राओं तथा रोड शो आदि पर रोक लगी है। आयोग बाद में स्थिति का विश्लेषण करके तय करेगा कि आगे सार्वजनिक चुनावी कार्यक्रमों को अनुमति देनी है या नहीं। वैसे कोरोना संक्रमण की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए नहीं लगता कि जनसभाओं की अनुमति आगे मिल पायेगी। ऐसे में परंपरागत चुनाव प्रचार माध्यमों के बजाय राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यमों का ही सहारा लेना होगा। कमोबेश जनस्वास्थ्य के महेनजर ऐसा होना जरूरी भी है। विगत के अनुभवों के महेनजर हमें सकारात्मक पहल करनी भी चाहिए। निस्संदेह ऐसे चुनौतीपर्ण समय में जहां

राजनीतिक दलों से जिम्मेदार भूमिका की दरकार है, वहीं नागरिकों को भी अपने स्तर पर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों से सुरक्षित दूरी बनानी होगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैक्सीन लगाने व कोरोना प्रोटोकॉल के पालन से हम संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यमों से प्रचार करके देश में चुनाव प्रक्रिया को उन्नत बनाने व समय के अनुसार ढलने का प्रयास करना चाहिए। जब देश तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है तो राजनीतिक दलों को संकट के दौर में नई पहल करनी चाहिए। हो सकता है कि कालांतर यह व्यवस्था न्यू नॉर्मल बन जाये। हालांकि, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की ताबड़—तोड़ रैलियां करवा चुकी भाजपा के लिये यह बढ़त की स्थिति है। उसके पास मजबूत आईटी नेटवर्क है और सोशल मीडिया पर उसकी खासी दखल है। उसने ब्लॉक स्तर तक आईटी सेल बनाये हैं। लेकिन छोटे दलों को डिजिटल माध्यम से बढ़त लेने में दिक्कत आएगी, एक तो उनकी तैयारी नहीं है दूसरे उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। पिछले साल भी कुछ राज्यों में डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस दिशा में सभी दलों की भागीदारी जरूरी है। यह देश के लिये अच्छा होगा कि चुनाव प्रचार की डिजिटल संस्कृति विकसित हो। इससे जहां संसाधनों, समय व धन की बचत होगी, वहीं कोरोना संक्रमण पर भी रोक लग सकेगी। साथ ही पलिस-प्रशासन की रैली-रोड शो प्रबंधन में फजीहत भी नहीं होगी।

ਮੁਹਿਕਲ ਵਕਾਸੇ ਹੁਨਾਵ

कविता

टिकट प्लीज

टिकट बंट रहे हैं, टिकट कट रहे हैं
इधर से कटे जो उधर सट रहे हैं ।

करीबी फलाने के थे जो फलाने,
कसीदे ढिमाके के अब रट रहे हैं।

हैं सांसत में लीडर, कि वोटर, सपोर्टर
इधर बढ़ रहे हैं, उधर घट रहे हैं ॥

हैं दल – दल में टिकटार्थी ढेर सारे,
सभी लखनऊ, दिल्ली में डट रहे हैं।

कई बार हारे भी हैं जो बेचारे,
लड़ाई से पीछे कहाँ हट रहे हैं ॥

बनाते कई पुश्त हैं अपनी लीडर,
बस वोटर हैं जो सस्ते में पट रहे हैं ॥

A portrait of a man with dark hair, wearing red-rimmed glasses and a mustache. He is wearing a yellow shirt over a red collared shirt. The background is dark and out of focus.

सिद्धार्थनगर ।

नियाज कपिलवस्तुवी / दैनिक बुद्ध का संदेश

जिनके लिए चुनाव आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा भी जरूरी नहीं। याद रखें रु जनता के लिए सत्ता होती है, सत्ता के लिए जनता नहीं। हम कई साल से डिजिटल इंडिया का शोर सुन रहे हैं। अगर आबादी के साधन विहीन अशिक्षित बड़े वर्ग पर डिजिटल जिंदगी थोपी जा सकती है तो हमारे सर्व साधन संपन्न राजनीतिक दल और नेता अपनी राजनीति भी डिजिटल ख्यों नहीं करते ? बिहार और पश्चिम...

राजकुमार सिंह
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की लखनऊ में टिप्पणी कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं, सत्ता-राजनीति की संवेदनशीलता का एक और उदाहरण है। चंद महीनों की आंशिक राहत के बाद देश एक बार फिर से कोरोना की लहर में फंसता दिख रहा है। लगभग सात माह के अंतराल के बाद नये कोरोना मामलों का दैनिक आंकड़ा एक लाख पार कर गया है। बेशक कोरोना के इस कहर के बीच सरकारों ने आम जन जीवन पर पारबंदियां भी बढ़ायी हैं। कहीं रात्रि कर्फ्यू है तो कहीं वीकेंड कर्फ्यू भी है। सरकारी—गैर सरकारी दफतरों में हाजिरी 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी गयी है। शिक्षण संस्थानों पर एक बार फिर से ताले लग गये हैं तो बाजार भी शाम से ही बंद होने लगे हैं। बिना वैक्सीनेशन आवागमन आसान नहीं रह गया है तो कहीं—कहीं उसके बिना वेतन पर भी रोक है, लेकिन दिनोंदिन बढ़ती इन पारबंदियों के बीच भी एक चीज पूरी तरह खुली है—और वह है राजनीति, खासकर फूटपत्ती—मार्च में आमन्त्रित विधायक सभा चुनाव वाले राज्यों में। समाचार माध्यमों में दिखाये जाने वाले फोटो—वीडियो साक्षी हैं कि हमारे ज्यादातर राजनेता जीवन रक्षक बताया जाने वाला मास्क पहनने से ज्यादा जरूरी अपना चेहरा दिखाना समझते हैं। मास्क न पहनने वालों के चालान काटने से हुई कमाई का आंकड़ा बता कर अपनी पीठ थपथपाने में शायद ही कोई राज्य सरकार पीछे रही हो, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि सत्ता का चाबुक क्या किसी सफेदपोश पर भी चला। जब ज्यादातर नेताओं का यह आलम है तो फिर कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद करेंगे? बेशक नये कोरोना मामलों का दैनिक आंकड़ा एक दिन पहले ही एक लाख पार गया है, लेकिन नये ओमीक्रोन वेरिएंट की दिसंबर में आहट के साथ ही तमाम जानकारों ने आगाह कर दिया था कि तीसरी लहर, दूसरी लहर से ज्यादा प्रबल साबित होगी। उसके बाद भी पंजाब से लेकर गोवा तक राजनीतिक दलों—नेताओं की सत्ता लिप्सा पर कहीं कोई लगाम नजर नहीं आती। यह स्थिति तब है, जब बेकाबू दूसरी लहर और बहुदाताल स्वास्थ्य तंत्र के चलते अस्पतालों से शमशान तक के हृदय विदारक दृश्य लोग भुला भी नहीं पाये हैं। किसी मारक महामारी से निपटने में हमारा स्वास्थ्य तंत्र खुद कितना बीमार नजर आता है, पूरी दुनिया देख चुका है। जान बचाना तो दूर, हमारी सरकारों मृतकों का सही आंकड़ा तक नहीं बता पायी पहली लहर के हालात से सबक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के बड़े-बड़े दावों की पोल दूसरी लहर में खुल चुका है। कौन दावा कर सकता है कि दूसरी लहर के वक्त किये गये वैसे ही दावों की पोल तीसरी लहर में नहीं खुल जायेगी क्योंकि घटती समस्या के महेनजर उससे मुंह मोड़ लेने की हमारे तंत्र की फितरत तो बहुत पुरानी है। हमारी ज्यादातर समस्याओं के मूल में आग लगने पर कुआं खोदने वाली यह मानसिकता ही है। पर मानसिकत तो तब बदले, जब मन बदले, लेकिन मन तो सत्ता—सुंदरी में इस कदर रमा है कि कुछ और नजर ही नहीं आता। हमारी राजनीति इस कदर चुनावजीवी हो गयी है कि एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे के हिस्सात विघ्नाते में जट जाती है। ऐसे में

ਤਸ੍ਵ ਕਲਾਨੇ ਮੇਂ ਹੈਂ ਕਈ ਆਡਿਕਨੋ

मतलब यह हुआ कि लड़की कानूनी तौर पर 21 साल से पहले शादी तो नहीं कर सकती लेकिन वह संबंध बनाने के लिए सहमति दे सकती है। ऐसे में बिना शादी किए लड़की 18 साल से ऊपर होने के बाद लिव-इन में रह सकती है, संबंध बना सकती है और बच्चे भी पैदा कर सकती है। तो यहा नया कानून कानून से बाहर बनने वाले इन रितों के जरिए समाज में जटिलता को बढ़ाने वाला है? जाहिर है...

१९

राजशा बाधरा
शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा
18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने से जुड़ा
बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद
संसद की स्टैंडिंग कमिटी में भेजा गया है।
इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी
है। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि
लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र पर
अलग—अलग पर्सनल लॉ में अलग—अलग
प्रावधान हैं। साथ ही शारीरिक संबंध और
सहमति को लेकर भी कई विरोधाभास हैं।
जाहिर है, इस प्रस्ताव ने एक साथ कई
जटिल मसले छेड़ दिए हैं। दरअसल, जया
जेटली समिति की सिफारिश के आधार पर
यह बिल लाया गया है। समिति को देखना
था कि शादी और मातृत्व की उम्र का मां और
नवजात शिशु के स्वास्थ्य, प्रजनन दर, मातृ
मृत्यु दर, शिशु लैंगिक अनुपात आदि से
कैसा संबंध है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
करने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय
का भी कहना है कि लड़की और लड़के की
उम्र में अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं
है और उम्र में अंतर होने से समानता के
मौलिक अधिकार का हनन होता है। कानूनों
में विरोधाभास: मगर मौजूदा स्थिति में विभिन्न
कानूनी प्रावधानों में विरोधाभास है। स्पेशल
मेरेज एक्ट के मुताबिक शादी के समय
लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और
लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। प्रस्तावित
कानून पास होने के बाद लड़की की विवाह

की न्यूनतम उम्र भी 18 से 21 साल हो जाएगी। लेकिन हिंदू मैरेज एक्ट 1955 के तहत होने वाली शादी में अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो भी वह शादी अमान्य नहीं है। इसके तहत प्रावधान है कि अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है और उसकी शादी कराई जाती है तो शादी के बाद बालिग होने पर लड़की चाहे तो शादी को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन दे सकती है। अगर वह अमान्य घोषित करने की गुहार नहीं लगाती है तो वह शादी मान्य हो जाती है। यानी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर है उसकी हिंदू मैरेज एक्ट के तहत हुई शादी अमान्य नहीं बल्कि अमान्य करार दिए जाने योग्य होती है। इससे अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जब लड़की प्यूबर्टी पा लेती है यानी शारीरिक तौर पर शादी के योग्य हो जाती है तो उसकी शादी हो सकती है। अगर लड़की नाबालिग है तो उसके पैरेंट्स की सहमति जरूरी होती है और निकाह हो जाता है। जहां तक आईपीसी का सवाल है तो इसकी धारा-375 में रेप को परिभाषित किया गया है। उसी में मैरिटल रेप को लेकर कहा गया है कि अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है और उसके पति ने उससे संबंध बनाए तो वह रेप होगा। लेकिन पत्नी नाबालिग है और उम्र 15 साल से ज्यादा है तो उसके साथ बनाया गया संबंध रेप के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि अक्टूबर 2017 को दिए

एक फैसले में इस अपवाद को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और व्यवस्था दी कि अगर पत्नी 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में है और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाए जाते हैं तो पत्नी अपने पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है। जजमेंट के बाद अब नाबालिग पत्नी इसके लिए शिकायत कर सकती है और रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन यहां यह मुद्दा काबिले गौर है कि अगर लड़की 15 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है और उसने कोई शिकायत नहीं की और न ही बालिग होने के बाद शादी को अमान्य करार देने के लिए अर्जी दी तो वह शादी भी मान्य है और पति द्वारा बनाए गए संबंध भी अपराध नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हिंदू मैरेज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग लड़कियों की शादी अभी भी अमान्य नहीं है तो फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल किए जाने का लाभ भारतीय समाज को कैसे मिलेगा जबकि देश भर में दूर-दराज इलाकों में अभी भी नाबालिग लड़कियों की शादी पर्सनल लॉ के तहत ही होती है। एक अहम पहलू शारीरिक संबंध बनाने की सहमति से जुड़ा है। कानूनी प्रावधान कहता है कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है और वह संबंध बनाने के लिए सहमति देती है तो भी आदमी के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन उसकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है और शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति है तो फिर संबंध बनाने वाले के खिलाफ रेप का केस नहीं हो सकता। अब यहां सवाल यह है कि अगर लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल की जा रही है तो क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की न्यूनतम उम्र 18 साल ही बनी रहेगी या उसे भी 21 साल किए जाने की जरूरत है? ऐसे ही अगर नाबालिग हिंदू लड़की शादी को अमान्य करार दिलाना चाहें तो वह 18 साल की उम्र होने पर आवेदन करेगी या 21 की उम्र में आने के बाद? अगर 18 साल के बाद भी वह शादी को अमान्य करार नहीं दिलाती है तो क्या 21 साल से कम उम्र की उसकी शादी मान्य बनी रहेगी? कानून से बाहर बनते रिश्ते: जैसा कि ऊपर कहा गया है, मौजूदा कानून के तहत 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़की शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की अधिकारी है। मतलब यह हुआ कि लड़की कानूनी तौर पर 21 साल से पहले शादी तो नहीं कर सकती लेकिन वह संबंध बनाने के लिए सहमति दे सकती है। ऐसे में बिना शादी किए लड़की 18 साल से ऊपर होने के बाद लिव-इन में रह सकती है, संबंध बना सकती है और बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। तो क्या नया कानून कानून से बाहर बनने वाले इन रिश्तों के जरिए समाज में जटिलता को बढ़ाने वाला है? जाहिर है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से पहले इन कानूनी विरोधाभासों को दूर करने की जरूरत है।

कोरोना कहर के बीच चुनावी लहर

सुशासन तो बहुत दूर की बात है, शासन व
लिए भी समय मुश्किल से ही मिल पाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणी से पहले र
ही देश में बहस चल रही है कि जब जान
और जहान, दोनों खतरे में हैं, तब अतीत
से सबक लेकर आसन्न चुनाव स्थगित कर
न कर दिये जायें। दरअसल मुख्य चुनाव
आयुक्त की वह टिप्पणी भी इसी बहस और
इससे उपजे सवाल के जवाब में ही आयी।
उस टिप्पणी के बाद भी बहस जारी है कि
दूसरी लहर में गयी अनगिनत इनसानों
जानों से सबक लेकर तीसरी लहर में
मानवीय क्षति से बचने के लिए पांच राज्य
के आसन्न विधानसभा चुनाव स्थगित करना
की पहल और फैसला किसे करना चाहिए?
या कौन कर सकता है? याद रहे कि पिछले
साल दूसरी कोरोना लहर के आसपास हुए
विधानसभा चुनाव से संक्रमण को मिर्जा
घातक रफ्तार और उससे हुई जनहनी व
लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने सीधे—सीधे
चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था।
उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से तिलमिलाय
चुनाव आयोग उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय
में भी गया था, लेकिन यह कभी नहीं बताया
कि अगर वह नहीं, तो चुनाव प्रचार के दौरान
तेज रफ्तार कोरोना संक्रमण के लिए कौन
जिम्मेदार था? माना कि हमारा दंतविहीन
चुनाव आयोग चुनाव स्थगित करने जैसे
फैसला नहीं ले सकता, पर चुनाव प्रचार व
लिए ऐसे प्रावधान तो कर सकता है, जैसे
संक्रमण की रफ्तार रोकने में मददगार हों।
पिछले साल के चुनावों में अगर बड़े
रैलियों—सभाओं पर पाबंदियों समेत वैसे प्राव
द्धान किये गये होते तो शायद दूसरी लहर का
कहर उतना मारक नहीं हुआ होता। विडब्बन
यह है कि उससे सबक लेकर चुनाव भारो



